

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.



अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्प्ट) नम्बर 02/2017 (GCMS No 2015/00027)

गुरदीपसिंह पुत्र श्री मुख्त्यारसिंह जाति जटसिंह निवासी बुगलावाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी (अपीलार्थी)

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. परमजीतकौर पुत्री स्व. श्री प्रीतमसिंह पत्नी स्व. श्री साहबसिंह जाति जटसिंह निवासी वार्ड नंबर 22 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सुखजीतकौर पुत्री स्व. श्री प्रीतमसिंह पत्नी श्री गुरमेलसिंह जाति जटसिंह हाल निवासी चक 5 एम डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. हमीरकौर पत्नी स्व. श्री प्रीतमसिंह जाति जटसिंह निवासी 4 डी डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण (प्रत्यर्थीगण)


- उपस्थित:
1. श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक प्रार्थी
 2. श्री जगदीश शर्मा — अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 2, 3,
 3. श्री मोहम्मद इस्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक: 26.04.2022

1. यह अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्प्ट) इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2012 की पालना नहीं होने बाबत पेश किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्प्ट) पेश कर इस न्यायालय के अपील सं. 18/2017 (पुराना नं. 40/2012) में पारित स्थगन आदेश दिनांक 22.05.2012 की पालना नहीं करने पर अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।
3. अवमानना प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 के निमित्त नोटिस जारी करने पर लेने से इन्कार होने की रिपोर्ट होकर वापिस प्राप्त होने पर पत्रावली बहस में रखी गई।
4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्प्ट) पर बहस के दौरान कहा कि

(१)
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर



पटवार हल्का बुगलावाली के ग्राम 21 एम.जे.डी. में श्री प्रोतमसिंह पुत्र हरदत्तसिंह के नाम की खातेदारी कृषि भूमि ख. सं. 92/184 में 872 तथा 27 ए.एम.पी. में ख. सं. 95/167 में 661 हिस्सा कृषि भूमि स्थित थी। जिसके संबंध में विरासतन इन्तकाल 394/7.10.2011 को अमल दरामद का आदेश तहसीलदार भू.अ. संगरिया द्वारा दिया गया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अदालतवाला में अपील प्रस्तुत की गई। अदालतवाला द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुए दिनांक 22.05.2012 को विवादास्पद कृषि भूमि से सबधित राजस्व अभिलेख की स्थिति आईन्दा आदेश तक यथावत रखे जाने तथा पक्षकारान द्वारा विवादित कृषि भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किये जाने के आदेश दिये। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को स्थगन की जानकारी होने के बावजूद स्थगन आदेश वाली कृषि भूमि को जरिये उप पंजीयक संगरिया में पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 19.03.2015 के द्वारा क्रेता श्री गुरतेजसिंह पुत्र श्री कुलदीपसिंह जटसिंह तहसील संगरिया को विक्रय कर दिया। और बैयनामा में झूठा अकित किया कि उक्त भूमि के मालिक है और किसी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है, ना ही किसी प्रकार हस्तान्तरण पर स्थगन है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ता 4 द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया। इसके अलावा स्थगन संबंधी आदेश की प्रविष्ट करने की जिम्मेदारी अप्रार्थी सं. 1 की थी, वही भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा नहीं की गई, ऐसा कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भी न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्प्ट) मंजूर फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जावे। तथा अप्रार्थी सं.1 के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

5. रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अवमानना प्रार्थना पत्र विधि के किस प्रावधानों के अन्तर्गत पेश किया गया है वो स्पष्ट नहीं है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।
6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अवमानना प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया जाता है जबकि स्टेट आफ

11/1
अति.सहायक आयुक्त
जयपुर



राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है जो चलने लायक नहीं है, इसके अतिरिक्त विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक संगरिया के द्वारा किया गया है जो इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन करते हुये उपलब्ध दस्तावेजात, का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार नम्बर एक को गलत पक्षकार बनाये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा अदालतवाला द्वारा दिनांक 22.05.2012 को विवादित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख की स्थिति आईन्दा आदेश तक यथावत रखे जाने तथा पक्षकारान द्वारा विवादित कृषि भूमि को किसी अन्य को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किये जाने के आदेश दिये। तत्पश्चात दिनांक 19.03.2015 को उप पंजीयक संगरिया में रजिस्ट्री की गई। इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2015 स्थगन आदेश के दौरान किये जाने के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 19.03.2015 के आधार पर अपील में पारित निर्णय से पूर्व नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने के आदेश दिये जाते हैं।
8. तदनुसार अवमानना प्रार्थना पत्र (कन्टेम्प्ट) निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

||
(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर